कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक 19.09.2021

क्राइम ब्रान्च व थाना सिगरा पुलिस टीम चैन स्नैचिंग की घटना का सफल अनावरण घटना में प्रयुक्त स्कूटी के साथ अभियुक्तगण समीर खान व मो. सहजेब गिरफ्तार, लूट गयी चैन की बिक्री का 35000/- रु. कब्जे से बरामद

आज दिनांक 19.09.21 को क्राइम ब्रान्च व थाना सिगरा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी व चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन में मु.अ.स. 0412/392 धारा 2021/411/ 0वि0द0भा 414से सम्बन्धित अभियुक्त 1.समीर खान पुत्र स्व0 सैयद दाउद निवासी एस- 8/ 110 ई टी खजुरी थाना कैन्ट वाराणसी 2.मो0 सहजेब पुत्र स्व0 मो0 मोइनुद्दीन निवासी – एस -10 /243 हुकुलगंज थाना लालपुर पाण्डेय वाराणसी को मुखबिर की सूचना पर मलदहिया चौराहे के पास से समय करीब 11.30 बजे घटना में प्रयुक्त स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 35000/- रुपये भी बरामद हुए। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिगरा में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>घटना का विवरण –</u> दिनांक 13.09.21 को वादिनी अंजली कुमारी गुप्ता पुत्री राजू कुमार गुप्ता द्वारा अपनी माँ व बहन के साथ आटो के लिये सिगरा चौराहे की तरफ जाते समय स्कूटी सवार 02 अज्ञात लोगों द्वारा अपनी माँ के गले से चैन छीनकर फरार होने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दिया था जिसके आधार पर थाना सिगरा में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना उ.नि. जितेन्द्र कुमार मौर्या द्वारा सम्पादित की जा रही है। उक्त क्रम में दि18 0.09. को 21 पुलिस टीम द्वारा सुनार हनुमन्त राव मोरे पुत्र तुका राम मोरे निवासीसिवनी तालुका कडेगाँव थाना चिनचिनी - 60 जिला सांगली महाराष्ट्रा हाल पता सी के/ हीरा पुरा कबीर चौरा 61थाना कोतवाली वाराणसी को गिरफ्तार कर 14 दिवस का रिमाण्ड मा.न्यायालय से प्राप्त किया गया था, जिसके कब्जे से अभियुक्तगणों द्वारा बेची गयी लूट की चेन बरामद हुई।

<u>पूछताछ का विवरण –</u> अभियुक्त समीर खान ने पूछताछ करने पर बताया कि दिन पहले इसी स्कूटी से हम दोनो 6 ने मिलकर सिगरा चौराहे से एक महिला की गले की चेन छिनकर रेशम कटरा मे स्थित सुनार की दुकान पर 25 रूपये मे बेच दिये था। मैंने 36000,000/- रूपया व तथा मेरा साथी मो11000 सहजेब ने 0/- रूपये लेकर आपस मे बाँट लिये थे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-</u>

1. समीर खान पुत्र स्व0 सैयद दाउद निवासी एस- 8/ 110 ई टी खजुरी थाना कैन्ट वाराणसी उम्र 32 वर्ष।
2. मो0 सहजेब पुत्र स्व0 मो0 मोइनुद्दीन निवासी – एस -10 /243 हुकुलगंज थाना लालपुर पाण्डेय वाराणसी उम्र 32 वर्ष ।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

घटना मे प्रयुक्त स्कूटी UP65DR2899 व लूटी गयी चैन की बिक्री का शेष 35000/- रु. नकद ।

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-</u>

1. उ जितेन्द्र कुमार मौर्य 0नि0,का सूरज कुमार भारती 0 थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी।
2. हे सुरेन्द्र मौर्या 0का0, काबाल मुकुन्द मौर्या 0, काविरेन्द्र कुमार यादव 0, कासूरज सिहं 0, काशिवबाबू 0, का 0 अनूप कुशवाहा, का नीरज मौर्या 0क्राइम ब्रांच टीम कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी